राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 73/2016/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग
प्रतिकरापवंचन, संभाग–II, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हैरडोमेन होस्पिटैलिटी सोल्यूशंस प्रा.लि.,
जे.एल.एन.मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.
श्री विक्रम गोगरा,
अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/08/2017

निर्णय

1. उक्त अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन संभाग–द्वितीय, जयपुर द्वारा वर्ष 2011–12 के लिये पारित आदेश दिनांक 28.03.2014 में आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया था एवं कर व ब्याज के बिन्दू पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2011–12 का प्रथम बार कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.2012 को किया गया था जिसमें सर्वेक्षण के समय बनाये गये अभियोग के आधार पर कर, ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर दिनांक 06.09.2012 के अपीलीय आदेश से पुनः जांच हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था परन्तु कर निर्धारण आदेश में आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया था। शास्ति अपास्त किये जाने के उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 06.09.2012 के विरुद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील में माननीय कर बोर्ड द्वारा शास्ति अपास्त किये जाने के निर्णय को विधिसम्मत माना गया था। उक्त तथ्यों के साथ प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 06.09.2012 के निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वहीं कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2014 को पुनः पारित किया गया, जिसमें पूर्व के मूल कर निर्धारण आदेश के बिन्दुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य बिन्दुओं पर भी करारोपण किया गया एवं ब्याज आरोपण के साथ शास्ति का भी आरोपण किया गया।

लगातार.....2

इस तरह दुबारा किये गये आदेश दिनांक 28.03.2014 के विरुद्ध पुनः अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर व ब्याज के बिन्दू पर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया परन्तु शास्ति के बिन्दू पर अपील इस आधार पर स्वीकार की गई कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विवादित आदेश में दर्शायी गई समस्त खरीद बिक्री अपनी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की हुई थी साथ ही इसी मामले में प्रथम बार पारित किये गये कर निर्धारण आदेश में आरोपित शास्ति को अपील में अपास्त करने की पुष्टि माननीय कर बोर्ड द्वारा भी की जा चुकी थी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक्लस बनाम स्टेट आफ तमिलनाडू 23 VST Page 249 के आलोक में भी शास्ति को अपास्तनीय माना गया।

4. उक्तानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं प्रकरण में केवल कर दर का विवाद होने के आधार पर अभियोग होना एवं समस्त संव्यवहारों का लेखा पुस्तकों में इन्द्राज होने का आधार पर तथा विभिन्न न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में प्रथम अवसर पर किये गये कर निर्धारण आदेश में आरोपित शास्ति को लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां होने के आधार पर पूर्व में माननीय कर बोर्ड द्वारा भी अपास्तनीय होना निर्णित किया जा चुका है अतः इस अपीलीय आदेश में भी कोई त्रुटि नहीं होने से इसकी पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील को अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

18/8/2017

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य